राजस्थान सरकार

नम्बर
अहकाम
हुक्म
में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह आर०ए०एस०

मा संख्या :– 15/2021 प्रा० पत्र

केसु पिता नगजी गुर्जर निवासी दन्तेडी (चुनांवा) तहसील करेडा

प्रार्थी.......

बनाम

सूरजा पिता नगजी गुर्जर निवासी दन्तेडी (चुनांवा) तहसील करेडा–भीलवाडा

विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: आदेश :: दिनांक 6/7/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०राज०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत वेदन किया कि ग्राम दन्तेडी पटवार हल्का चुनांवा तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त की खाता संख्या 28 आराजी नम्बर 1341/730 1.00 बीघा/ .... कुल किता 1 रकबा 1.00 बीघा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातें की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 5/01/2021 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को नार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते गिंक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम दन्तेडी पटवार हल्का चुनांवा (प्र०) तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या ... आराजी नम्बर 1341/730 1.00 बीघा .... कुल किता 1 रकबा 1.00 बीघा पर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–निरीक्षक करेड़ा को 2100/–/– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए ... बिन्दु को आधार मानकर की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2022.09.03 16:29:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

:– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा